



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2018/ज्येष्ठ 10, 1940

No. 369]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2018/JYAISTHA 10, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई 2018

सं. 25 /2018 – केन्द्रीय कर

**सा.का.नि. 517(अ).**—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 308(अ) तारीख 28 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 19/2018 तारीख 28 मार्च, 2018 को उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम (4) की धारा 39 की उपधारा के अधीन **प्रारूप जीएसटीआर-6** में जुलाई, 2017 से जून, 2018 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा का 31, जुलाई 2018 तक विस्तार करता है।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

श्रीपार्वती एस. एल, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

New Delhi, the 31st May, 2018

**No. 25/2018–Central Tax**

**G.S.R. 517(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification No. 19/2018-Central Tax, dated the 28<sup>th</sup> March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 308 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor in **FORM GSTR-6** under sub-section (4) of Section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the months of July, 2017 to June, 2018, till the 31st day of July, 2018.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

DR. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.